IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 8, March 2024

शासकीय योजनाओं में अनुसूचित जाति की महिलाओं के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में लाड़ली लक्ष्मी योजना का विष्लेषणात्मक अध्ययन (खरगोन जिले के संदर्भ में)

डॉ .मुकेष कुमार सावले
शोध–पत्र, अर्थशास्त्र
Lecturer, Amar Shahid Raja Bhau Mahakal Government College, Sonkatch.

यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। महिलाओं का विकास होने पर समाज का विकास स्वतः ही हो जाएगा।''

–पंडित जवाहरलाल नेहरू

ष्अर्थषास्त्र में विकास शब्द न केवल एक सकारात्मक परिवर्तन का सूचक है अपितु इसका संबंध मानव मात्र के कल्याण से भी हैं। जब हम किसी अर्थव्यवस्था के विकास की बात करते हैं तो उससे हमारा तात्पर्य उसके चहुंमुखी विकास की तथा उससे संबंधित प्रत्येक क्षेत्र व वर्ग के विकास से होता हैं। अर्थव्यवस्था समाज से घनिष्ठ रूप से संबंधित है तथा समाज परिवार का ही वृहद रूप हैं, आधारषिला है नारी जिसके बिना इस परिवार रूपी पौधे के अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित तथा फलित होने का प्रष्न ही नहीं उठता। इस दृष्टि से चूंकि नारी अर्थव्यवस्था से आवष्यक रूप से संबंधित है, नारी का विकास किये बिना हम अर्थव्यवस्था के विकास की कल्पना तक नहीं कर सकते।

ष्एक ओर जहां देष के समक्ष विकास की महान् चुनौतियां मुंह बांये खड़ी हैं जिनकी तरफ सारी दुनियां की नजर है, वहीं दूसरी ओर देष के सामने महानतम् चुनौती हैं महिलाओं के विकास की, उसकी स्थिति में सुधार की जिसे सब जानते हुए भी नजर अन्दाज करते रहे हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब कभी पुरूष प्रधान सभ्यता ने नारी जाति की अवहेलना की, समाज का विकास अवरूद्ध हुआ, उसका पतन हुआ, किन्तु जब नारी जाति को मान–सम्मान दिया गया उसे प्रेरणा व स्फूर्तिदायिनी जगतजननी का स्थान दिया गया, समाज उन्नति के षिखर पर पहुंच गया।

ष्महिला और पुरूष सृष्टि निर्माण और मानव समाज के आधार हैं। दोनों एक–दूसरे के पूरक हैं। ये जीवन रूपी रथ के ऐसे पहिये हैं जिनसे जीवन–यात्रा सुचारू रूप से संचालित होती हैं। परिवार और समाज में स्थायित्व के लिए दोनों की ही भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण रही हैं। किसी समाज में परिवर्तन और विकास का आधार पुरूषों और महिलाओं के पारस्परिक मेल–जोल, कदम से कदम मिलाकर चलने और दोनों की समान गतिषीलता पर ही निर्भर हैं। किसी भी एक पक्ष के पिछड़ने पर सामाजिक जीवन में अराजक स्थिति निर्मित होती हैं। मानव जाति का इतिहास इसका साक्षी है कि जहॉ महिलाओं की उपेक्षा की गई हैं, वहॉ समाज का विकास अवरूद्ध हुआ हैं। महिला की भूमिका पुरूष से कही अधिक महत्वपूर्ण होने से समाज रचना में उसकी स्थिति केन्द्रीय हो जाती हैं। अतः स्त्रियों की उन्नति के बिना मानव जाति और समाज का उत्थान नही हो सकता जहॉ तक भारत का संबंध है ''यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता''। अर्थात् जहॉ महिलाओं की पूजा होती हैं वहां देवताओं का वास होता हैं। इस आदर्ष के साथ कोई भी भारतीय स्त्री पष्चिमी स्त्री की तुलना में गौरव का अनुभव कर सकती हैं। भारतीय महिलाएँ किसी भी दृष्टि से पुरूषों से कम नही हैं। इतिहास के प्रारंभिक समय मे उन्हें पुरूषों से कम नहीं माना गया मध्यकाल एवं विदेषी शासनकाल में उनकी स्थिति दोयम दर्जे की हो रही। उन्हें पूर्णतः पुरूषों पर निर्भर बना दिया गया। यहॉ तक की उन्हें दासी कहकर संबोधित किया गया तथा उनके नागरिक एवं सार्वजनिक अधिकार छीनकर उन्हें घर की चहारदीवारी में बंद कर दिया गया। **रायडन** का कथन हैं–''स्त्रियों ने ही प्रथम सभ्यता की नींव डाली हैं और उन्होंने ही जंगलों में मारे–मारे भटकते फिरते हुए

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 8, March 2024

पुरूषों का हाथ पकड़कर उन्हें स्थिर जीवन या घर में बसाया हैं।''भारतीय समाज में वैदिक युग में महिलाओं की स्थिति न केवल अच्छी थी, अपितु अत्यन्त उन्नत थी। स्त्रियों को षिक्षा, विवाह, सम्पति आदि में पुरूषों के समान अधिकार था और स्त्रियों में आत्मसम्मान था। लेकिन उत्तर वैदिक काल से महिलाओं के लिए समस्यायें उत्पन्न होने लगी। धर्मसूत्रों में बाल विवाह का निर्देष दिया गया जिससे षिक्षा प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हुई और इसी काल में स्त्रियों को धार्मिक और सामाजिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। स्मृति युग में स्त्रियों की स्थिति और भी निम्न हो गई। इसी प्रकार मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल के प्रारंभ तक स्त्रियों की बड़ी दयनीय दषा थी।

किसी भी देष के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में उस देष का लिंगानुपात भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं। सामान्यतः यह देखा जाता हैं पुरूषों की अपेक्षा स्त्रियों में कार्य करने की शारीरिक क्षमता कम होती हैं। अतः यह उत्पादन के कार्य में उतना हाथ नहीं बटा पाती हैं, जितना की उपभोग में, जिससे प्रति व्यक्ति आय इस बात पर निर्भर करती हैं कि वहॉ स्त्री जनसंख्या उत्पादन में कितना हाथ बंटाती हैं। देष में समाज अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग में विभाजित हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेष में 15.6 प्रतिषत जनसंख्या अनुसूचित जाति की है जिसमे खरगोन जिले 15.7 प्रतिषत जनसंख्या अनुसूचित जाति की हैं। जिले की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने से अनुसूचित जाति के पुरूष एवं महिला दोनों कृषि संबंधी विभिन्न कार्यो से आय अर्जित कर अपनी जीविका चलाते है।

अध्ययन का उद्देष्य–

अनुसंधानकर्ता अनुसन्धान पद्धति के ज्ञान द्वारा छिपे सत्य को, जो स्त्रोत सामग्री में होता है, उसे प्राप्त करता है। अनुसंधानकर्ता को अपने उद्देष्य की प्राप्ति के लिए अनावष्यक रूप से भटकना नहीं पडता अनुसंधान का कार्य आसान हो जाता है। अनुसंधानकर्ता को सही उद्देष्य के लिए पहले से ही अनुसंधान रीति का ज्ञान कर लेना चाहिए। विषय और उसके क्षेत्र का निर्णय करने के साथ–साथ शोध के उद्देष्यों पर गहराई से चिंतन मनन आवष्यक है। उद्देष्यों के आधार पर समस्या को विषुद्ध, व्यावहारिक अथवा किया शोध की समस्या के रूप में देखा जा सकता है। उद्देष्यों की स्थापना से प्राथमिकताओं को स्थापित करने तथा समस्या का समाधान खोजनें मे सहायता प्राप्त होती है।

प्रस्तुत शोध कार्य के प्रमुख उद्देष्य निम्नलिखित हैः–

1. खरगोन जिले में अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. जिले में अनुसूचित जाति की महिलाओं के आर्थिक एंव सामाजिक विकास हेतु संचालितयोजना की जानकारी प्राप्त करना।
3. अनुसूचित जाति वर्ग के लिये संचालित योजना में प्राप्त आवंटन एवं उसके उपयोग की जानकारी प्राप्त करना।
4. योजना के कियान्वयन में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करना।
5. योजना के सफल कियान्वयन एवं इस वर्ग के विकास हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध परिकल्पना–

ष्परिकल्पना को उपकल्पना भी कहा जाता है। परिकल्पना अनुसंधान की प्रकिया का एक महत्वपूर्ण अंग है।

प्रो. यंग के अनुसार–''एक कार्यवाहक विचार, जो उपयोगी खोज का आधार बनता है, कार्यकारी उपकल्पना के नाम से जाना जाता है।''

प्रस्तुत अनुसंधान की दिषा निर्धारित करने के लिए परिकल्पना तय की गयी जो इस शोध कार्य का आधार है। **शोध**

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 8, March 2024

परिकल्पनाओं की रचना निम्नानुसार की गई है–

1. शासकीय योजना से इस वर्ग की महिलाओं की साक्षरता में वृद्वि हुई हैं।
2. जिले में शासन द्वारा संचालित योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति कि महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में वृद्धि हुई हैं।
3. शासन द्वारा संचालित योजना से प्राप्त आवंटन का व्यय शत् प्रतिषत होता है।

संमको का संकलन–

प्रस्तुत अध्ययन में संमको के संकलन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीय संमको का समावेष किया गया हैं।

दसवर्षीय जनसंख्या वृद्धि–

खरगोन जिले में अनुसूचित जाति की दस वर्षीय विकासखण्डवार जनसंख्या वृद्वि निम्नतालिका में दर्षायी गयी है

तालिका कमांक–1 वर्ष 2001–2011 का तुलनात्मक अध्ययन

कं.	विकास खण्ड	कुल जनसंख्या	दस वर्षीय जनसंख्या वृद्धि	अनुसचित जाति की जनसंख्या	कुल जनसंख्या से प्रतिषत
1	बड़वाह	241265 (278531)	19.68 (15.44)	42234 (49806)	19.81 (17.88)
2	महेश्वर	167321 (196278)	25.13 (17.30)	32989 (39537)	19.72 (20.16)
3	कसरावद	185823 (219959)	32.84 (18.37)	26752 (30750)	14.40 (13.98)
4	सेगांव	68967 (83487)	25.05 (21.05)	2927 (3251)	4.24 (3.89)
5	भीकनगांव	138582 (175563)	24.43 (26.68)	9819 (12032)	7.09 (6.85)
6	खरगोन	166120 (113162)	33.33 (31.87)	16912 (17302)	12.70 (15.29)
7	गोगांवा	103230 (112458)	31.27 (8.93)	11508 (12533)	11.14 (11.14)
8	भगवानपुरा	148579 (192996)	40.07 (29.89)	4771 (5551)	3.21 (2.88)
9	झिरन्या	151824 (201756)	27.93 (32.88)	5748 (6919)	3.78 (3.43)
10	जिला खरगोन	1529562 (1873046)	27.92 (22.46)	174495 (209091)	11.40 (11.16)

स्त्रोत–जिला सांख्यिकीय पुस्तिका 2012–2014 जनगणना, 2001 (2011 के ऑकड़े) पृष्ठ संख्या –2,3

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 8, March 2024

उपर्युक्त तालिका 2.8 में जिले में अनुसूचित जाति की दस वर्षीय विकासखण्डवार जनसंख्या वृद्धि व कुल जनसंख्या से प्रतिषत 2001–2011 का तुलनात्मक अध्ययन किया गया कोष्ठक में 2011 के ऑकड़ों को बताया गया है। जिले में कुल दस वर्षीय जनसंख्या वृद्धि 2001 में 27.92 व 2011 में 22.46 है, जिसमें कुल जनसंख्या का प्रतिषत 2001 में 11.40 2011 11.16 प्रतिषत रहा। इसी प्रकार विकासखण्ड भगवानपुरा में अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या से प्रतिषत सबसे कम 2001 में 3.21 2011 में 2.88 हैं। तुलनात्मक अध्ययन में दिया गया कि 2001 से 2011 में 0.33 प्रतिषत की कमी हुई है। बड़वाह विकासखण्ड में सबसे अधिक कुल जनसंख्या से प्रतिषत 19.81, 2001 तथा 2011 में 17.88 है। महेष्वर विकसखण्ड 2011 20.16 प्रतिषत कुल जनसंख्या से है जो सबसे अधिक है क्योकि प्रषासनिक दृष्टि से भी यह विकासखण्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। जिले में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 2001 में 174495 तथा 2011 में 209091 है तुलनात्मक अध्ययन में अनुसूचति जाति की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या सेगाव विकासखण्ड में 2927 2001–2011 में हैं क्रमषः बड़वाह विकासखण्ड, भीकनगांव, कसरावद, खरगोन, गोगावा झिरन्या भगवानपुरा से तुलनात्मक अध्ययन से सेगाव विकासखण्ड से कम है।

अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के विकास हेतू शासकीय योजना–

ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत महिलाओं की स्थिति में सुधार किये बिना उस क्षेत्र के विकास की परिकल्पना नही की जा सकती। वर्तमान समय में सरकार ग्रामीण विकास पर अत्यधिक बल दे रही है। किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को नकारा नही जा सकता। विकास के लिऐ महिलाओं की स्थिति में सुधार अत्यधिक आवष्यक है।

जिले में संचालित योजना–

(1) लाड़ली लक्ष्मी योजना–

भारतीय समाज में बेटियों को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। भारतीय संस्कृति एक आदर्ष संस्कृति के रूप में जानी जाती है। जब लड़की का जन्म होता है तो कहा जाता है कि हमारे घर लक्ष्मी आई है।

ष्मध्यप्रदेष सरकार ने बेटी को बोझ समझने की धारणा को खुषियों में बदल दिया हैं। लाड़ली लक्ष्मी योजना से मध्यप्रदेष में बेटी को जन्म से लखपति होने का वरदान मिला हैं।

ष्प्रदेष में बालिकाओं के शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने, अच्छे भविष्य की आधारषिला रखने, बालिका भ्रूण हत्या रोकने और बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाने एवं बाल विवाह रोकने के उद्देष्य से लाड़ली लक्ष्मी योजना आरंभ की गई हैं। यह योजना 1 जनवरी 2006 के उपरान्त जन्मी बालिकाओं के लिए हैं।

योजना का लाभ कौन ले सकता हैं –

1. जिनके माता–पिता मध्यप्रदेष के मूल निवासी हों, आयकर दाता न हों।
2. द्वितीय बालिका के प्रकरण में परिवार नियोजन अपना लिया हों।
3. प्रथम प्रसव की प्रथम बालिका जिनका जन्म 01/04/2008 के उपरान्त हुआ हो, परन्तु द्वितीय प्रसव के उपरान्त परिवार नियोजन अपनाना अनिवार्य होगा।
4. हितग्राही की आंगनवाड़ी केन्द्र में उपस्थिति नियमित हो।
5. जिस परिवार में अधिकतम दो सन्तान हो माता/पिता की मृत्यु हो गई हैं, उस परिवार के लिये परिवार नियोजन की शर्त अनिवार्य नहीं होगी, परन्तु माता अथवा पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र आवष्यक होगा।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 8, March 2024

6. जिस परिवार में प्रथम बालक अथवा बालिका है तथा दूसरे प्रसव पर दो जुड़वा बच्चियां जन्म लेती है तो दोना बच्चियों को इस योजना का लाभ दिया जावेगा। –यदि परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो उसे प्रथम बालिका मानते हुए योजना का लाभ दिया जावेगा।

7. प्रथम प्रसूति के समय एक साथ तीन लड़कियां होने पर भी तीनों बच्चियों को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा।

8. ऐसे अभिभावक जो बालिका के जन्म के 1 वर्ष के अन्दर आवेदन पत्र प्रस्तुत नही कर पाये है, उन्हें ये सुविधा होगी कि आगामी 1 वर्ष की अवधि अर्थात बालिका के जन्म के 2 वर्ष के अन्दर अपील संबंधित जिले के कलेक्टर को कर सकेगें। प्रकरण मान्य/अमान्य करने के पूर्ण अधिकार कलेक्टर को होंगे।

योजना का लाभ–

1. इस योजना के तहत बालिका के पक्ष में प्रतिवर्ष 6000 रूपयें लगातार पॉच वर्षो तक कुल राषी 30,000 रूपयें के एनएससी क्रय किये जायेंगे।

2. कक्षा छठवीं में प्रवेष पर दो हजार रूपयें, कक्षा नौवीं में प्रवेष पर चार हजार रूपयें, कक्षा ग्यारहवीं में प्रवेष पर सात हजार पॉच सौ रूपयें तथा ग्यारहवीं एवं बारहवीं में पढ़ाई के समय दो वर्ष तक दो सौ रूपयें प्रतिमाह दियें जायेंगे।

3. बालिका के 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर एवं 18 वर्ष के पूर्व विवाह न करने पर तथा 12 वीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित होने पर एकमुष्त राषि का भुगतान किया जावेगा। इस प्रकार भुगतान की गई राषि एक लाख रूपये से अधिक की होगी।

योजना का लाभ लेने के लिए संपर्क–

निकट की आंगनवाड़ी या जिला महिला बाल विकास कार्यालय से संपर्क करें।

योजना मे प्राप्त आवटंन एवं व्यय की स्थिति।

(1) लाड़ली लक्ष्मी योजना–

ष्महिला एवं बाल विकास विभाग से संचालित लाड़ली लक्ष्मी योजना अंतर्गत बालिकाओं की शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य व आर्थिक स्थिति में अच्छे सुधार एवं भविष्य की कामना करनें के लिए व भ्रुण हत्याओं को रोकने के लिये जिले में प्रारम्भ से ही संचालित कि जा रही हैं, इस योजना के संचालित होने से महिलाओं कि सामाजिक आर्थिक व स्वास्थ्य की स्थिति में परिवर्तन व सकारात्मक सोच का विकास हुआ है। जिले में अध्ययन अवधि में इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवटंन (आय) एवं व्यय की स्थिति निम्नप्रकार से है।

तालिका कमांक–2

खरगोन जिले में लाड़ली लक्ष्मी योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवटंन (आय) एवं व्यय की प्रगति का विवरण– (राषि लाख रू. मे)

वर्ष	प्राप्त आवटंन (आय)	व्यय	लाभान्वित हितग्राही संख्या	प्रति हितग्राही औसत राषि
2007–08	3,918,000	3,918,000	653	6000
2008–09	29,176,280	26,072,680	4,921	5298.24
2009–10	28,291,316	51,229,240	5,540	9247.15
2010–11	81,932,034	80,239,510	6,448	12444.09
2011–12	180,362,262	180,330,050	9,444	19094.66
2012–13	16,250,000	161,596,880	7,638	21156.96

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 8, March 2024

2013–14	221,623,000	221,324,260	6,486	34123.38
योग	765,352,892	724,710,620	35,326	–

स्त्रोत–कार्यालय महिला एवं बाल विकास ,खरगोन जिला –खरगोन (म.प्र.)

तालिका 5.4 से स्पष्ट होता हैं कि लाड़ली लक्ष्मी योजना में प्राप्त आवटंन की राषि वर्ष 2007–08 में 3,918,000 है। जिससे व्यय कि गई राषि 3,918,000 इससे लाभान्वित हितग्राहीयों की संख्या 653 है। 2007–08 में आवटंन राषि का व्यय सत् प्रतिषत हुआ। जिसकी प्रति हितग्राही औसत राषि 6,000 रूपये है। तथा वर्ष 2007–08 से 2013–2014 तक कुल प्राप्त आवटंन राषि 765,352,892 है व्यय की कुल राषि 7,24,710,620 हैं इसी राषि से लाभान्वित हितग्राहीयों की संख्या 35326 है। अतः इसी तरह प्राप्त आवटंन राषि का प्रत्येक वर्ष बढ़ती हुई दर प्राप्त हुई व लाभान्वित हितग्राहीयों की संख्या में भी वृद्वि हुई है। औसत राषि का प्रतिषत प्रत्येक वर्ष बढ़ा है। अन्त में कहा जा सकता है कि लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ शत् प्रतिषत हितग्राहीयों को दिया गया है। सन् 2014–15 में लाभान्वित हितग्राही 6661 थें। 2015–16 में लाड़ली लक्ष्मी योजना ई–लाड़ली लक्ष्मी योजना होने से प्रत्येक लाभान्वित हितग्राहीयों को शासन स्तर पर 2015–16 में राषि का भुगतान सीधे ई–पेमेंट किस्तों के माध्यम से किया गया है। अंतिम भुगतान रूपये 1 लाख बालिका की आयु 21 वर्ष होने पर तथा कक्षा 12 वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने पर भुगतान किया जाएगा, किन्तु शर्त यह होती है कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के पूर्व न हुआ हो।

ष्प्रस्तुत अध्ययन हेतु खरगोन जिले के 9 विकास खण्डों में से 6 अनुसुचित जाति बाहुल्य विकास खण्ड क्रमषः बड़वाह, महेष्वर, कसरावद, खरगोन गोगांवा तथा सेगांव के 30 अनुसुचित जाति बाहुल्य गांवों (प्रत्येक विकास खण्ड से 5 गांव) की कुल 300 अनुसूचित जाति महिला हितग्राहियों (प्रत्येक गांव से 10 महिलाओं) का सर्वेक्षण अध्ययन क्षेत्र में उनके निवास पर जाकर किया गया। प्रत्येक विकास खण्ड में सर्वेक्षण का 16.7 प्रतिषत अंष सम्मिलित है।

तालिका क्रमांक–3

आयु के आधार पर अनुसूचित जाति महिला हितग्राहियों का विवरण

क्रमांक	आयु समूह	आवृति	प्रतिशत
1	0 से 25 वर्ष	74	24.7
2	25 से 30 वर्ष	70	23.4
3	30 से 35 वर्ष	79	26.3
4	35 से 40 वर्ष	58	19.3
5	40 से अधिक वर्ष तक	19	06.3
	योग	**300**	**100.00**

स्त्रोतः– व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर

तालिका से स्पष्ट है कि आयु समुह में 0 से 25 वर्ष तक की अनुसूचित जाति हितग्राहियों की महिलाओं की आवृति 74 व इनका 24.7 प्रतिषत रहा, 25 से 30 वर्ष तक की संख्या 70 तथा 23.4 प्रतिषत है, 30 से 35 वर्ष की महिलाओं की सख्या 79 जिनका 26.3 प्रतिषत 35 से 40 वर्ष की अनुसूचित जाति महिलाओं की संख्या 58 व 19.3 प्रतिषत, 40 से अधिक वर्ष तक की महिलाओं की संख्या 19 रही जिनका 06.3 प्रतिषत है। सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि 30 से 35 वर्ष की अनुसूचित जाति महिलाओं का प्रतिषत सर्वाधिक है, इस आयु वर्ग में कार्य करने की शक्ति के साथ–साथ अनुभव का भी सम्मिश्रण होता है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 8, March 2024

उपजाति :–

मध्यप्रदेष में 2011 कि जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1,13,42,320 (15.6 प्रतिषत) इनमें भी 47 जातियॉ व इनकी उनेक उपजातियॉ है। इसी प्रकार 2011 की जनगणना के अनुसार खरगोन जिले में 15.7 प्रतिषत जनसंख्या अनुसूचित जाति की है जिले में भी अनुसूचित जाति में अनेक की उपजातियॉ है जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक एवं आर्थिक कार्यो को सम्पन्न करती है इनमें प्रमुख बलाई, कोली, तथा चमार प्रमुख है। सर्वेक्षण के दौरान बलाई एवं चमार उपजातियॉ आयी है।

सर्वेक्षित अनुसूचित जाति महिला हितग्राहियों में साक्षरता का अध्ययन भी किया गया जिनकी स्थिति निम्नतालिका में स्पष्ट की गई है।

तालिका कमांक–4

सर्वेक्षित अनुसूचित जाति महिला हितग्राहियों में साक्षरता की स्थिति

कमांक	षिक्षा की स्थिति	उत्तरदाताओ की सख्या	प्रतिशत
1	षिक्षित	215	71.7
2	अशिक्षित	85	28.3
	योग	**300**	**100.0**

स्त्रोतः– व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति महिला उत्तरदाताओं में 215 षिक्षित जिनका 71.7 प्रतिषत है, अषिक्षित महिला उत्तरदाताओं की संख्या 85 जिनका 28.3 प्रतिषत है। सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं की साक्षरता में वृद्धि हो रही है।

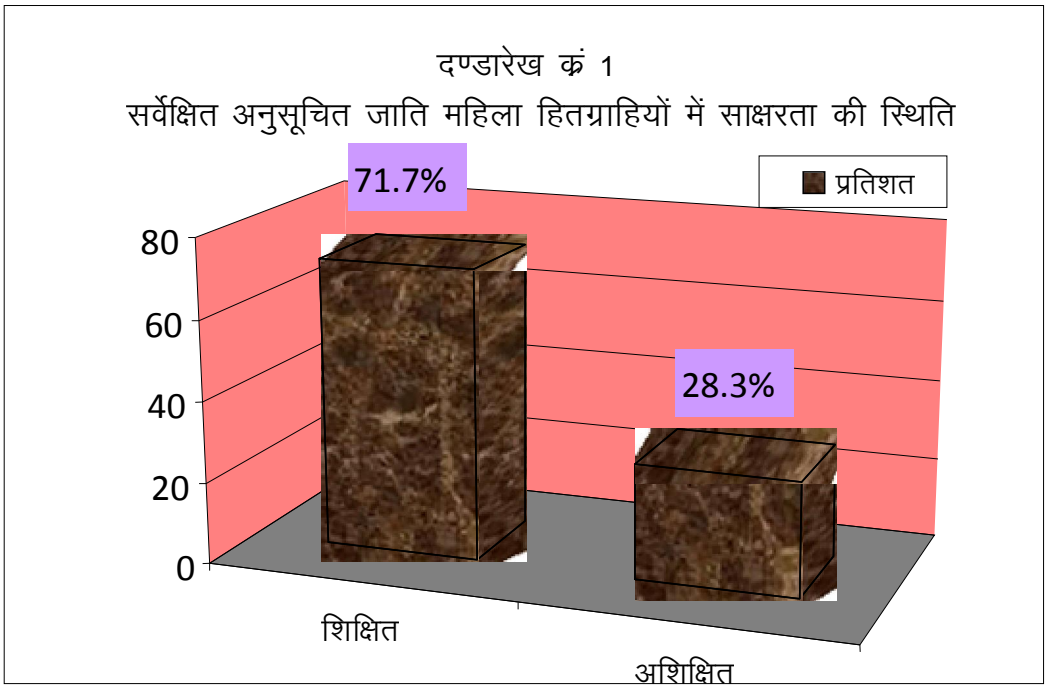

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 8, March 2024

शिक्षा का स्तरः–

''शिक्षा ही वह कुंजी जो जीवन के वह सभी द्वार खोले देती है जो कि आवष्यक रूप से सामाजिक है। महिलाओं की षिक्षा का स्तर देष में महिलाओं की वर्तमान व भावी स्थिति को समझने हेतु महत्वपूर्ण घटक है। मानव आज विज्ञान की उन्नति के षिखर पर पहुंच गया, षिक्षा की आवष्यकता बलवती होती गई।''

सर्वेक्षण के दौरान सर्वेक्षित अनुसूचित जाति महिलाओं से उनकी षिक्षा का स्तर जानने का प्रयास भी किया गया। सर्वेक्षित महिलाओं के साक्षरता का स्तर निम्नानुसार है।

तालिका क्रमांक–5

सर्वेक्षित अनुसूचित जाति महिला हितग्राहियों में षिक्षा का स्तर

क्रमांक	षिक्षा का स्तर	उत्तरदाताओ की सख्या	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
1	निरक्षक	85	28.4
2	साक्षर	25	08.3
3	प्राथमिक	37	12.3
4	माध्यमिक	108	36.0
5	हाई./हायरसेकण्डरी	41	13.7
6	स्नातक	04	01.3
	योग	**300**	**100.0**

स्त्रोतः– व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि 85 उत्तरदाता ऐसे है जिन्हें पढ़ना–लिखना नही आता जिनका 28.4 प्रतिषत है जबकि 25 महिला उत्तरदाता ऐसी है जो केवल साक्षर है जिनका 8.3 प्रतिषत है।

दण्डारेख क्रं 2

सर्वेक्षित अनुसूचित जाति महिला हितग्राहियों में शिक्षा का स्तर

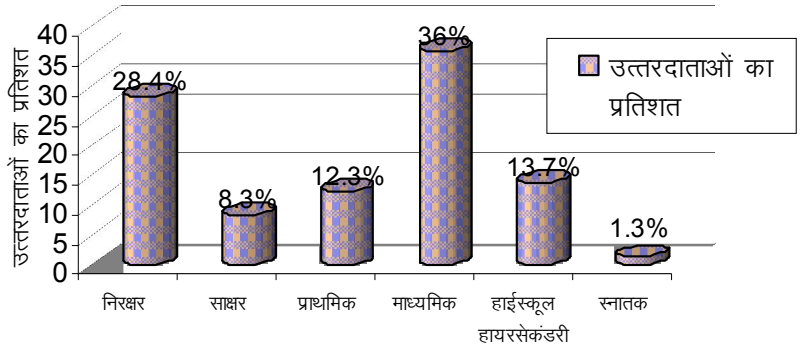

37 हितग्राही महिलाओं ने प्राथमिक स्तर तक ही शिक्षा प्राप्त कि है जिनका 12.3 प्रतिषत व माध्यमिक स्तर पर 108 है जिनका 36.0 प्रतिषत है व हाईस्कूल/हायरसेकण्डरी स्कूल स्तर तक 41 महिलाऐं षिक्षा प्राप्त जिनका 13.7 प्रतिषत रहा 4 महिला हितग्राही स्नातक स्तर षिक्षा प्राप्त है जिनका 1.3 प्रतिषत है अध्ययन से स्पष्ट होता है कि षिक्षा सुविधाऐं एवं शासन के तमाम

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 8, March 2024

प्रयासों के बाद भी केवल 15 प्रतिषत महिलाऐ हायर सेकंडरी एवं उच्च षिक्षा प्राप्त है। आज भी 56 प्रतिषत महिलाऐं माहिलाऐं माध्यमिक षिक्षा व इससे कम स्तर तक साक्षर है।

तालिका कमांक–6

सर्वेक्षित अनुसूचित जाति महिलाओं में शासकीय योजना के लाभ का विवरण

कमांक	लाड़ली लक्ष्मी योजना	उत्तरदाताओ की सख्या	प्रतिशत
1	हॉ	49	16.3
2	नही	251	83.7
	योग	**300**	**100.0**

स्त्रोतः– व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर

उक्त तालिका द्वारा स्पष्ट है कि सर्वेक्षित अनुसूचित जाति महिला हितग्राहियों में 49 महिलाओं ने शासकीय योजना का लाभ प्राप्त किया जिनका 17.3 प्रतिषत है। 251 महिला हितग्राही ऐसी है जिन्होने शासकीय योजना का लाभ प्राप्त नही किया जिनका 83.7 प्रतिषत है इसी प्रकार लाभ प्राप्त करने वाली हितग्राहि महिलाओं का प्रतिषत न प्राप्त करने वाली महिलाओं से कम है।

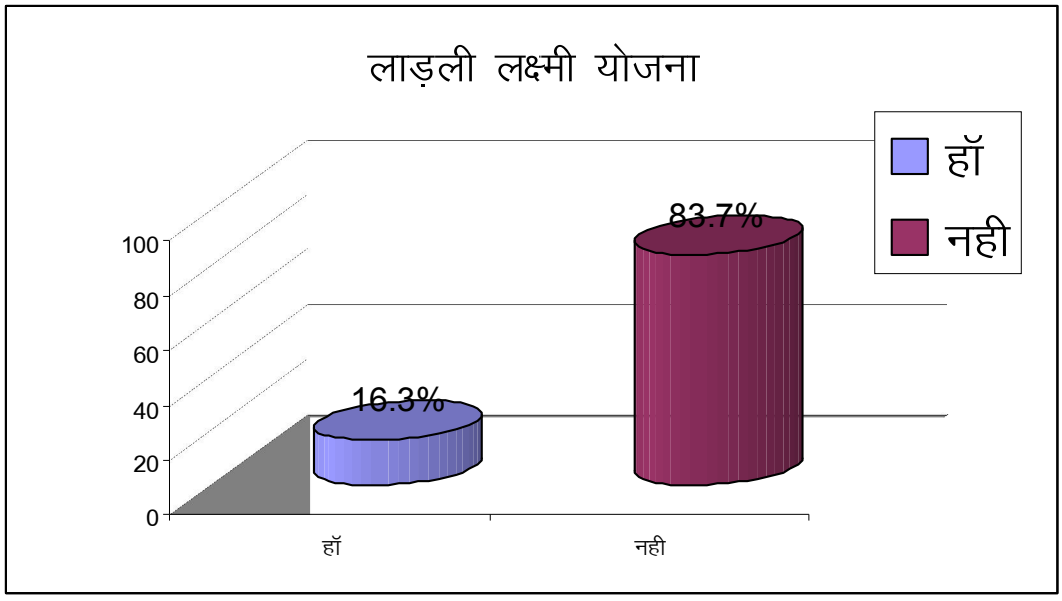

शासकीय योजना के लाभ का आधार

अनुसूचित जाति की महिलाओं की आर्थिक समस्याऍं :–

अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाऐं आर्थिक समस्याओं से अत्यधिक ग्रस्त हैं। आज भी समाज में अनुसूचित जाति महिलाओं की स्थिति निम्न मानी जाती है। इसी कारण उनकी आर्थिक स्थिति भी दयनीय है।

1. अध्ययन क्षेत्र में महिलाओं द्वारा कहॉ गया कि हम अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं की स्थिति समाज में अत्यन्त गरीब तथा जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती ऐसी महिलाओं को गावों में मजदूरी अधिनियम से भी कम मजदूरी का भुगतान किया जाता है। जिससे वह अपना आर्थिक विकास भी नही कर पाती है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 8, March 2024

2. अध्ययन क्षेत्र में यह देखा कि अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को जाति व्यवस्था के आधार पर व्यावसाय करने के लिए बाध्य किया जाता हैं जो निम्न व घृणित व्यवसाय हों। आज न तो उनके इनके पास भूमि हैं और न ही रहने के सुरक्षित भवन हैं।
3. अनुसूचित जाति की महिलाऐं आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च वर्गो के व्यक्तियों के यहॉ निदाई गुढाई साफ सफाई अन्य मजदूरी करने के लिऐ जाना पड़ता हैं।
4. सामाजिक असमानता एवं शोषण के षिकार अनुसूचित जाति की महिलाओं का शोषण पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहा हैं और अध्ययन क्षेत्र में देखा गया की ये महिलाऐं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक काम करने के बाद भी अपने आप को आर्थिक रूप से असुरक्षित एवं असहाय समझती हैं।
5. अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाऐं रात दिन मजदूरी करती है फिर भी उनके काम का पैसा समय पर नहीं दिया जाता। सर्वेक्षण के द्वारा यह भी अनुसूचित जाति महिलाओं के द्वारा कहा गया है।

सुझाव :–

अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं की आर्थिक स्थिति का विष्लेषणात्मक अध्ययन करने से यह सहज ही सिद्ध हो गया है कि उनकी पारिवारिक एवं विषेषकर आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय होती है। एक सुखी एवं सम्पन्न जीवन के लिए शासकीय योजनाओं के माध्यम से प्रभावी सुधार की आवष्यकता है। इस सदंर्भ में विषेष उल्लेखनीय सुझाव निम्नलिखत है :–

1. अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं में अषिक्षा विकास में सबसे बड़ी बाधा होती है। आज जो षिक्षा महिलाओं को दी जाती है उनके परिवेष को ध्यान में रख कर नही बनाई जाती है।
2. अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं की अर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए एवं जीवन स्तर को उॅचा उठाने के लिए षिक्षा ही अपेक्षित कार्य है एवं शासन की शासकीय योजनाऐं जिनका विस्तार पूर्वक प्रचार–प्रसार हो ताकी गरीब महिलाऐ एवं मजदूरी कार्य करने वाली महिलाओं को सुविधाओं का लाभ मिल सकें।
3. शासन जो योजनाऐं महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए चलाई जाती है। परन्तु आज भी विभागों में षिथिलता नजर आती है, महिलाओं के विकास के लिए प्रत्येक विभागों को जहॉ से शासन की शासकीय योजनाओं को संचालन होता है सभी प्रषासकीय अधिकारियों को सक्रिय किया जायें, ताकि जो योजनाऍ कागजों में ही तम तोड़ देती है उन्हें वापस कियान्वयन किया जा सकें। ताकि गरीब महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हो सकें।
4. अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाऐ जो विधवा एवं जिनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है ऐसी महिलाओं के लिए शासकीय योजनाओं के माध्यम से पानी, मकान, बिजली की आपूर्ति की जानी चाहिए। ताकी वह अपना विकास कर सके।
5. जो महिलाऐं केवल मजदूरी का कार्य करती है एवं अषिक्षित है, ज्ञान का अभाव है प्रवास की प्रवृति को रोकने के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों को स्थापित किए जाये जिससे महिलाओं को वर्ष भर गॉवों मे ही कार्य उपलब्ध हो जाए।

अनुसूचित जाति की महिलाओं की समाजिक समस्याऍः–

अनुसूचित जाति की महिलाओं को अनेक सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं क्योंकि जाति व्यवस्था के अन्तर्गत इन महिलाओं की स्थिति समाज में निम्नतम् मानी गई हैं समाज मे आज भी इन्हें अछुत माना जाता है। अनुसूचित जातियों की महिलाओ को सदैव उच्च जातियों के सामाजिक अत्याचारों और अनाचारों को सहन करना पड़ता है। समाज में उच्च

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 8, March 2024

वर्ग की महिलाओं के साथ यह उठ–बैठ नही सकती उनके साथ मिलकर खाना नही खा सकती। उनके साथ रहने बात करने पानी पीने आदि कार्य से उच्च वर्ग की महिलाओ की पवित्रता नष्ट हो जाती हैं यह मानना हैं। समाज मे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगो का अलग से पृथक निवास होता हैं। इनके निवास स्थानो को हरिजन बस्ती के नाम से संबोधित किया जाता है। इस प्रकार की समाजिक समस्याओं का सामना समाज में रहकर अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को सहन करना पड़ता हैं। जैसे :–

1. अस्पृष्यता की समस्या आज भी गावों में अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए विद्यमान है, निम्न वर्ग होने के कारण उन्हें अस्पृष्यता का सामना करना पड़ता हैं।
2. अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं की समस्या समाज में अत्याचार एवं उत्पीड़न की है।
3. अनुसूचित वर्ग की महिलाओं के सामाजिक उत्थान में समानता की कमी होती है। क्योंकि समाज में उच्च वर्ग को अधिक महत्व दिया जाता है। जिसके कारण समाज में अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं की स्थित निम्न है।
4. निम्न वर्ग की महिलाओं की स्थिति समाज में आज भी भय, डर, घृणा में रहती है व्यवहार में असमानता होती है उच्च वर्ग की महिलाओं के द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है।
5. मुलभूत सुविधाओं में कमी का कारण अषिक्षा, अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार आज तक भी नही हो पाया है क्योकि जो महिलाऐं अषिक्षित होती है। ऐसी महिलाओं कोयोजनाओं की जानकारी महिलाओं तक नही पहुच पाती।

सुझाव :–

शासन द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनाऍं संचालित हैं। शासन के द्वारा जो योजनाऍं चलाई जाती है उनका उद्देष्य होता है कि निम्न वर्ग की महिलाओं को विकास हो सके एवं अस्पृष्यता निम्नता जैसी आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान एवं विकास कर सकें।

1. समाज में समरसता के माध्यम से अस्पृष्यता को खत्म किया जा सकता है। एवं कानूनों को एवं नियमों को शासन द्वारा कठोरता से क्रियान्वयन करके समस्या का समाधान किया जा सकता है।
2. षिक्षा परक समाजसेवी सस्थाओं, के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं में जो रूढ़िवादिता, अन्धविष्वास, होता है उसे खत्म किया जा सकता है।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगो की स्थापना करके अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं की बेरोजगारी, गरीबी एवं आत्मविष्वास, जागरूकता आदि की कमीयों को दूर किया जा सकता है।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में षिक्षा संबंधी प्रषिक्षण केन्द्रो की स्थापना शासन द्वारा कि जानी चाहिए। ताकि जो महिलाऐं अषिक्षित, बेरोजगार होती है। उनका सामाजिक विकास कर सके एवं समाज में असमानता होती है उसके प्रति जागरूक हो सके।
5. समाज में भूमिहिन अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाऐं अधिकांषतः निरक्षर होती है। अतः इनके विकास के लिए शासन द्वारा शासकीय योजनाऐं ग्रामीण स्तर पर क्रियान्वित करना चाहिए जैसेः–टेलिविजन, रेडियों, वृत्तचित्र, दृष्य एवं श्रव्य उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि महिलाऐं अपना स्वयं एवं परिवार का विकास कर सके।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 8, March 2024

योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयॉ –

1. प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं से साक्षात्कार करने पर महिलाओं द्वारा कहॉ गया है कि जो योजनाऐ शासन के द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है उसकी जानकारी समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में नही मिल पाती हैं।
2. सही समय पर योजनाओं की जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों एवं पंचायत स्तर पर नही मिल पाती।
3. जो महिलाऐं निरक्षर होती है। योजना का लाभ लेने के लिए बार–बार बैकों व कार्यलयों के चक्कर लगाना पड़ता है व समयानुसार लाभ नही भी उन्हे नही मिलता।
4. योजनाओं के क्रियान्वयन होने के बाद भी समय पर सही जानकारी सरकारी कार्यलयों को नही होती है और न ही निम्न व निरक्षर गरीब वर्ग की महिलाओं को सही जानकारी दी जाती हैं।
5. समय पर योजना का लाभ संबंधित कार्यालयों द्वारा नही दिया जाता। लाभ लेने के लिए हम महिलाओं को अधिक समय तक संबंधित कार्यालयों में चक्कर लगाना पड़ता हैं।

सुझाव –

1. विभिन्न प्रकार की विकास कार्यक्रम तथा शासकीय योजनाओं का ईमानदारी से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाऐं लाभान्वित हो सकें।
2. महिलाओं के उत्थान हेतू शासन के द्वारा जिन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। उनका प्रचार प्रसार संबंधित कार्यालयों के अधिकारीयों के द्वारा ग्रामीण स्तर तक किया जाना चाहिए। ताकि अषिक्षित महिलाऐं भी अधिक–अधिक लाभान्वित होके सामाजिक एवं आर्थिक विकास कर सके।
3. शासकीय योजनाओं की जानकारी देने हेतू ग्रामीण स्तर पर षिविरों का आयोजन करना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाऐं योजनाओं से लाभान्वित ले सके।
4. अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए जो शासन के द्वारा जो शासकीय योजनाऐ बनाई जाती हैं उनकी निर्धारित योग्यता नही होना चाहिए। क्योकि अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाऐं अधिकतर अषिक्षित होती है, षिक्षा एवं योग्यता के अभाव में बहुत सारी योजनाओं से लाभान्वित नही हो पाती।
5. अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के उत्थान हेतू ग्राम स्तर पर षिक्षा का प्रचार–प्रसार करना चाहिए क्योंकि षिक्षा एवं अज्ञानता के अभाव में शासकीय योजनाओं का लाभ नही ले पाती।

संदर्भ ग्रन्थ सूची–

1. रानी डॉ. आषु 2013–महिला विकास कार्यक्रम, इना श्री पब्लिषर्स, जयपुर पृष्ठ संख्या–11
2. पाटिल डॉ. अषोक डी. एवं भदौरिया डॉ. एस. एस. 2009–भारतीय समाज–प्रकाषन–मध्यप्रदेष हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग बानगंगा, भोपाल. पृष्ठ सख्या–339–340
3. श्रीवास्तव डॉ. ए. पी. आर पी (2015)–समाजषास्त्र, प्रकाषक –राम प्रसाद एण्ड संस, हमीदिया रोड, भोपाल– पृष्ठ सख्या, 177–178
4. बघेल डॉ. डी. एस. एवं बघेल डॉ. (श्रीमती) किरण (2008)–अनुससंधान पद्धतिषास्त्र, प्रकाषक–कैलाष पुस्तक सदन भोपाल–462001, पृष्ठ संख्या–69

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 8, March 2024

5. गांगले डॉ. अरूण एवं जैन डॉ. जिनेन्द्र कुमार, उद्यमिता विकास, सन– 2008, प्रकाषक– मध्यप्रदेष हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल पृष्ठ संख्या–252
6. आगे आयें लाभ उठायें, प्रकाषक–आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेष , भोपाल, जनवरी 2010, पृष्ठ संख्या– 28
7. ग्रामीण विकास की प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम – महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान अधारताल, जबलपुर (म. प्र.) सन् 2010, पृष्ठ संख्या– 48
8. आगे आयें लाभ उठायें, प्रकाषक–आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेष, भोपाल, जनवरी 2010, पृष्ठ संख्या– 43
9. पाण्डेय आनंद कुमारएवं पाण्डेय श्रीमती अर्चना– सामान्य अध्ययन, मध्यप्रदेष हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, सन् 2013, पृष्ठ संख्या– 425
10. ग्रामीण विकास की प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम – महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान अधारताल, जबलपुर (म. प्र.) सन् 2010, पृष्ठ संख्या– 44 व 45
11. ीजजचरूध्ण्संकसप संगउपण्बवउण्पद
12. आगे आयें लाभ उठायें, प्रकाषक–आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेष , भोपाल, जनवरी 2013, पृष्ठ संख्या–133

रानी डॉ. आषु 2013–महिला विकास कार्यक्रम, इना श्री पब्लिषर्स, जयपुर पृष्ठ संख्या–19